

प्रेषक,  
शिव शंकर सिंह  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 04 नवम्बर, 2012

विषय : जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के उपघटक बी०एस०यू०पी० योजनान्तर्गत जनपद-आगरा की दो परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1447/76/एक/बीएसयूपी/2012-13, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 व पत्र संख्या-1449/76/एक/बीएसयूपी/2012-13, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, जे०एन०एन०यू०आर०एम० कार्यक्रम के उपघटक ~~अर्थात्~~ ~~राज्य नगरीय विकास अभिकरण~~ योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-आगरा की निकाय-ताज नगरी फेस-11 तथा निकाय-कालिन्दी बिहार की कमशः 608 आवासों के सापेक्ष 122 आवासों व 632 आवासों के सापेक्ष 126 आवासों की दो परियोजनाओं हेतु कमशः **रु० 274.42 लाख व रु० 314.97 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- I. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
- II. प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने के दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-8- 1933 / दस-12, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव शंकर सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या- 1767 (1) / 69-1-12-29(बजट) / 2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, आगरा।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष), को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,

(आर०पी० सिंह)  
उपसचिव।